एस. एस. जैन सुबोध महिला महाविद्यालय जयपुर
पत्र प्राप्ति
क्रमांक 15
दिनांक 8-10-99

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

एफ.2(29) शिक्षा/4/99 जयपुर, दिनांक: 8 अक्टूबर, 99

कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषय:- एस.एस.जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, जयपुर के नाम से नया महाविद्यालय खोलने हेतु सत्र 1999-2000 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

संदर्भ:- एफ.4(लेखा/निमावि/99/1133 दिनांक 16.9.99 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक, कालेज शिक्षा के संदर्भित पत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर एस.एस.जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, जयपुर 06 के नाम से स्नातक स्तरीय नया महाविद्यालय खोलने हेतु सत्र 1999-2000 के लिए कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1.हिन्दी साहित्य 2.अंग्रेजी साहित्य 3.अर्थशास्त्र 4.इतिहास 5.राजनीति शास्त्र 6.लोकप्रशासन 7.समाज शास्त्र तथा वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त 1.लेखा एवं सांख्यिकी 2.व्यावसायिक प्रशासन 3.आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध विषय संचालित करने हेतु निम्न शर्तों पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है:-

1. संस्था को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करना होगा, व सम्बन्धन हेतु निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ति एवं पालन करना होगा व विश्वविद्यालय से सम्बन्धन प्राप्त करने पर ही छात्राओं को प्रवेश दिया जावेगा।

2. महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित अर्हताधारी अध्यापकों को सत्र के प्रारंभ से ही नियुक्त करना होगा तथा ~~निर्धारित एण्डोमेंट राशि~~, वेतन एवं भत्तों का भुगतान करना होगा तथा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी तथा इसकी रिपोर्ट निदेशक, कालेज शिक्षा को 30.11.99 तक प्रस्तुत करनी होगी।

3. महाविद्यालय को समय-2 पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करना होगा व निर्देशों की अनुपालना के अभाव में संस्था को जारी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

4. महाविद्यालय को वर्तमान एवं भविष्य में इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान एवं वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

5. संस्था को शैक्षिक सत्र 2000-2001 हेतु राज्य सरकार द्वारा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि में वृद्धि उसी दशा में की जा सकेगी, जब संस्था द्वारा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धन हेतु निर्धारित सभी शर्तों एवं कमियों की पूर्ति करते हुए 30.11.99 तक निदेशालय कालेज शिक्षा को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे तथा निदेशालय से वांछित अनुशंसा प्राप्त हो।

भवदीय

(डा. पी.एन. श्रीवास्तव)
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निजी सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी 2. निजी सचिव, प्र0सचिव, उ0शि0
3. निजी सचिव शिक्षा। 4. निदेशक, कालेज शिक्षा, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा, 6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा।
7. मंत्री एस.एस.जैन सुबोध शिक्षा समिति, रामबाग सर्किल जयपुर।
8. जिला कलेक्टर जयपुर 9. रक्षित पत्रावली।

8/10
विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा/आकाशि/अनु./2005-06/36 दिनांक 4-7-05

सुबोध महिला ... पत्र प्राप्ति क्रमांक 32 दिनांक 13-7-... जयपुर

कुल सचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

विषयः- निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय,

एस.एस. जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, भवानी सिंह मार्ग, रामबाग सर्किल, जयपुरको वर्ष 1999 में आदेश कमांक प.2(29)शिक्षा-4/99 दिनांक 8.10.99 द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था । राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अब अकादमिक सत्र 2005-06 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :-

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करनी होगी ।
3. संस्था द्वारा निर्धारित एण्डोमेंट राशि संयुक्त खाते में जमा करानी होगी ।
4. संस्था द्वारा अध्यापन हेतु मूलभूत आवश्यक सुविधायें (Infrastructural facitilites) उपलब्ध करानी होगी ।
5. संस्था समय पर यूजीसी/ राज्य सरकार / आयुक्त, कालेज शिक्षा, द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
6. संस्था पूर्व में जारी एन.ओ.सी. की समस्त शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगी। शर्तों की पालना न करने या उनका उल्लंघन करने पर प्रदत्त एन.ओ.सी. को आहरित (Withdraw) भी किया जा सकता है ।
7. संस्था को वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।
8. संस्था को अकादमिक स्टेण्डर्ड बनाये रखने हेतु प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करने का दायित्व स्वयं का होगा ।
9. आपको दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।

भवदीय,

(एस.एल.अग्रे) 4.7.05
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, जयपुर
8. अध्यक्ष/सचिव/एस.एस. जैन सुबोध महिला महाविद्यालय, भवानी सिंह मार्ग, रामबाग सर्किल, जयपुर
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली ।

4/7/05

संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि / नि.सं. / 1999 / 142 दिनांकः- 5.3.19

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित संकाय / विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति, रामबाग सर्किल, जयपुर।	एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. महिला महाविद्यालय, भवानी सिंह रोड, रामबाग सर्किल, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातकोत्तर स्तर पर एम.कॉम-ए.बी.एस.टी। एम.एस.सी.-रसायनशास्त्र।

1. संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेंगी।
2. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
3. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी. / राज्य सरकार / आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
4. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
5. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
6. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
8. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
9. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
10. राज्य सरकार की निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
11. संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट **www.hte.rajasthan.gov.in** से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेवपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त-निदेशक (नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांकः एफ4 (158)आकाशि/नि.सं./1999/ 190 दिनांकः– 11/03/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र **2021–22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर** स्तर पर **नवीन विषय/ संकाय** में **स्थाई** अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है :–

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
एस.एस. जैन सुबोध शिक्षा समिति, रामबाग सर्किल, जयपुर।	**एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. महिला महाविद्यालय,** भवानी सिंह रोड़, रामबाग सर्किल, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	**अनिवार्य विषयों सहित** **स्नातक स्तर पर** **विज्ञान संकाय**– रसायनशास्त्र एवं भौतिकशास्त्र(आनर्स)। **कला संकाय**– भूगोल। **स्नातकोत्तर स्तर पर** **एम.एससी.**– गणित एवं साइकॉलाजी। **एम.ए.**– साइकॉलाजी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी।

1. संस्था स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय–समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी
8. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2021–22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
9. **संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड़ करेगी।**
10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल **www.aishe.nic.in** पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय अपलोड़ेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर